

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 7(111)राज/वाद/22 पार्ट-I

जयपुर दिनांक 28/09/2026

::आदेश::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अतिरिक्त निजी सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2026-27 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 23.09.2026 में की गई अभिशंषा के अनुसार निम्न सूची के कॉलम सं0 2 में वर्णित निजी सहायकगण ग्रेड-I को उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में अंकित तिथि से कॉलम सं0 5 में अंकित रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल, अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे स्केल एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री अब्दुल रईस चिश्ती	—	2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से)	9300-34800 ग्रेड पे-4800 (एल-12)
2	श्री श्रवण कुमार सैनी (से0नि0 31.07.26)	—	2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से)	9300-34800 ग्रेड पे-4800 (एल-12)
3	श्री धनराज साहू	—	2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से)	9300-34800 ग्रेड पे-4800 (एल-12)
4	श्री राजेश कुमार	—	2026-27 (दिनांक 01.04.2026 से)	9300-34800 ग्रेड पे-4800 (एल-12)
5	श्री रामावतार सैनी	—	2026-27 (दिनांक 01.05.2026 से)	9300-34800 ग्रेड पे-4800 (एल-12)

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति उक्त सूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक से प्रभावी है। अतः कॉलम सं04 में वर्णित दिनांक अथवा इसके पश्चात अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत/अवनत मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे।

यह आदेश जारी होने अथवा कार्मिक की पदोन्नति प्रभावी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

हो
(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- संबंधित जिला कलक्टर,.....।
- संबंधित कोषाधिकारी,.....।
- संबंधित कार्यालय,.....।
- सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
- संबंधित कर्मचारी,.....।
- ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार मलिक
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि